# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

**पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस**

| राजस्व वादपत्र सं0 | दायरा दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 161/2014 | 02.07.2014 | 02-03-2016 |

उनवान

1. बनवारी पुत्र रिछपाल जाति चमार ग्राम बैराहेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. लीलाराम पत्र मामराज जाति चमार ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
2. उप–पंजीयक अधिकारी, हरसौली तहसील कोटकासिम (अलवर)
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राजवो अन्तर्गत धारा
88, 89, 188 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री भगतसिंह चौधरी अधिवक्ता, वादी

निर्णय

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 32/0.1800 हैक्टेयर (0–14 बीघा), 33/0.0800 हैक्टेयर (0–06 बीघा) कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टेयर (1–00 बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) के राजस्व रिकार्डस से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी बनवारी पुत्र रिछपाल जाति चमार ग्राम बैराहेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0



Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

## पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

| राजस्व वादपत्र सं0 | दायरा दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 161/2014 | 02.07.2014 | 02-03-2016 |

उनवान

1. बनवारी पुत्र रिछपाल जाति चमार ग्राम बैराहेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. लीलाराम पत्र मामराज जाति चमार ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
2. उप–पंजीयक अधिकारी, हरसौली तहसील कोटकासिम (अलवर)
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री भगतसिंह चौधरी अधिवक्ता, वादी

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादी की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 32/0.1800 हैक्टेयर (0–14 बीघा), 33/0.0800 हैक्टेयर (0–06 बीघा) कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टेयर (1–00 बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) के असल खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादी सं0 1 से विवादित आराजी मिन वादी ने जरिये बयनामा दिनांक 31.



उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

05.1988 को प्रतिवादी सं0 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर ने खरीद की हुई है और खरीद वक्त से ही मिन वादी विवादित आराजीयात पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मिन वादी का विवादित आराजियात पर मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। मिन वादी ने विवादित आराजी को वक्त खरीदने के कुछ दिन पश्चात ही विवादित आराजी का इंतकाल राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के लिये तत्कालीन हल्का पटवारी को असल बयनामा दिनांक 31.05.1988 का दे दिया था कुछ दिन बाद ही तत्कालीन पटवारी हल्का ने असल बयनामा मिन वादी को यह कहकर वापिस लौटा दिया कि आपका इंतकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज विवादित आराजी का कर दिया है। वक्त खरीद दिनांक को ही प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी पर मिन वादी को कब्जा हल चलवाकर संभलवा दिया था। वक्त खरीद के दिन से ही आज तक बदस्तूर मिन वादी विवादित आराजी पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। बाद बेचान दिनाक 31.05.1988 से प्रतिवादी सं0 1 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है ना ही काबिज काश्त रहा है और ना अब है। वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजियात है। दिनांक 25.06.2014 को मिन वादी विवादित आराजी की जमाबन्दी वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास लेने गया तो हल्का पटवारी ने मिन वादी को बताया कि विवादित आराजी तो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है इसमें तम्हारे नाम का अंकन नहीं हो रहा है। जिस पर मिन वादी ने दिनांक 25.06.2014 को नकल जमाबन्दी पटवारी हल्का से प्राप्त की और प्रतिवादी सं0 1 से उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने हेतु कहा तो वो साफ इन्कार हो गया और मिन वादी को ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रति0के नाम दर्ज का बेजा फायदा उठाते हुये वह विवादित आराजी को दीगर लोंगो को बेंचान करेगा आरै वादी को जबरन बेदखल कर अपना कब्जा प्राप्त करेगा। मिन वादी भोला भाला गांव का अनपढ व्यक्ति है मिन वादी ने विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 जरिये बयनामा समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय कर ली है व विवादित आराजी पर वक्त खरीद के दिन से कब्जा काश्त है। तो प्रतिवादी0 गैरवास्ता गैरकाबिज शख्स है। इसलिये मिन वादी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार बयनामा दिनांक 31.05.1988 के अनुसार घोषित करवाने का व प्रतिवादी सं0 1 का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकार्डस से कलमजन कराने का अधिकारी है। जिसके लिये मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी के राजस्व रिकार्डस में अपने नाम का गलत इन्द्राज होने की आड में विवादित आराजी को दीगर लोगों को बेचान कर दिया तो मिन वादी को अपनी खरीदशुदा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी से वंचित होना पडेगा। दीगर मुकदमावाजी में फंसना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में



उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रुपयों में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। मिन वादी के दावा हाजा में हक व हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन वादी को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह वादी पत्र पेश करना लाजिम आया है। वाद पत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखसमत दिनांक 25.06.2014 को पैदा हुई है जिससे वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। वैसे भी इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज के वाद में कानूनन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उन्हे 80 जा0 दी0 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी अपने नाम के गलत अंकन का राजस्व रिकार्डस में फायदा उठाते हुये विवादित आराजी को दीगर लोंगो को बेचान करना चाहता हैं जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 2, 3 को 80 जा.दी. के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना संभव नही हो सका है। इसलिये उन्हें रफाऐ उज्रात 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। अत : प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजियात हाल खसरा नम्बर 32/0.1800 हैक्टेयर (0–14 बीघा), 33/0.0800 हैक्टेयर (0–06 बीघा) कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टेयर (1–00 बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) के राजस्व रिकार्डस से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बयनामा दिनांक 31.05.01988 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्डस में अमल दरामद किया जावे। (ब) प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी को कहीं दीगर जगह रहन बय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करें, ना वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही प्रतिवादी सं0 2 विवादित आराजीयात की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे। हर्जा खर्चा मुकदमा का वादी को प्रतिवादी सं 1 से दिलवाया जावे। अन्य दीगर दादरसी मुनासिब समझे वादी को अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादीगण 1 व 2 की तामील हो जाने के बावजूद न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एक्सपार्टी की गई।

प्रतिवादी पैरोकार ने अपने जवाब में राज्य हित नहीं होना अंकित किया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)



Scanned by CamScanner

वादी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी मिन वादी ने जरिये बयनामा दिनांक 31.05.1988 को प्रतिवादी सं0 1 को समस्त प्रतिफल की राशि का भुगतान कर खरीद की है और वक्त खरीद से मिन वादी विवादित आराजीयात पर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मिन वादी का विवादित आराजीयात पर मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। विवादित आराजीयात का इंतकाल राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के लिये तत्कालीन हल्का पटवारी को असल बयनामा दिनांक 31.05.1988 का दे दिया था कुछ दिन बाद ही पटवारी ने असल बयनामा मिन वादी को यह कहकर वापिस लौटा दिया कि आपका इंतकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है। दिनांक 31.05.1988 को प्रतिवादी सं0 1 नें विवादित आराजी पर हल चलवाकर कब्जा दे दिया था। बाद बेचान से प्रतिवादी सं 1 वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। दिनांक 25.06.2014 को मिन वादी विवादित आराजी की जमाबन्दी वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास लेने गया तो हल्का पटवारी ने मिन वादी को सूचित किया कि विवादित आराजी रिकार्ड में प्रतिवादी सं 1 के नाम है मिन वादी के नाम दर्ज नहीं है। जिस पर मिन वादी ने दिनांक 25.06.2014 को नकल जमाबन्दी प्राप्त कर प्रतिवादी सं0 1 से उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने हेतु कहा तो वो साफ इंकार हो गया और मिन वादी को ऐलानिया धमकी दी कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम होने का बेजा फायदा उठाते हुऐ इसे दीगर लोगों को बेचान करुंगा और मिन वादी को जबरन बेदखल कर अपना कब्जा करुंगा इसलिये मिन वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार बयनामा के अनुसार घोषित होने का व इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाल का व प्रतिवादी सं0 1 का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड से कलमजन कराने का व प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अत : प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जावे। (ब) प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर विचार किया गया। पत्रावली में पेश किये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संम्वत 2070–73 के खाता संख्या 406 के खसरा नम्बर 32/0.1800 हैक्टेयर(0–14 बीघा), 33/0.0800 हैक्टेयर (0–06 बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द में लीलाराम पुत्र मामराज जाति चमार सा0देह खातेदार दर्ज है। खातेदार लीला द्वारा विवादित आराजी को जरिये बयनामा दिनांक 31.05.1988 को प्रतिवादी सं0 1 बनवारी पुत्र



उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रिछपाल निवासी बैराहेडी तहसील कोटकासिम को बेचान किया जाना प्रस्तुत रिकार्ड बयनामा व नकल जमाबन्दी से साबित है साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 2 के शपथपत्र से भी साबित है कि विवादित आराजी पर क्रेता प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा काश्त है। कब्जा प्रतिवादी सं0 1 को दिये जाने बाबत बयनामा में भी उल्लेख किया गया है। बयनामा प्रदर्श Ex-1 के अनुसार वादी खरीदी गई आराजीयात को कानूनन अपनी खातेदारी काश्तकारी में दर्ज कराने का अधकिारी है। क्योंकि प्रतिवादी 1 द्वारा विधिमान्य तरीके से बेचान कर दस्तावेज बयनामा उपपंजीयक कि0बास में पंजीबद्ध कराया गया है। विधिमान्य तरीके से किये गये स्वत्व व अधिकारो के हस्तान्तरण के अनुसार वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 32/0.1800 हैक्टेयर (0–14 बीघा), 33/0.0800 हैक्टेयर (0–06 बीघा) कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हैक्टेयर (1–00 बीघा) वाक़े ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) के राजस्व रिकार्डस से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी बनवारी पुत्र रिछपाल जाति चमार ग्राम बैराहेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02-03-2016 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह तेजी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0



Scanned by CamScanner